

Please upload
in postal not
gov. in

भारत सरकार Government of India

राष्ट्रीय एटलस एवं थीमैटिक मानचित्रण संगठन

National Atlas & Thematic Mapping Organisation

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग Department of Science & Technology

35, जी. एन. ब्लॉक, सेक्टर V 35, GN Block, Sector V

सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700091 Salt Lake City, Kolkata - 700091

11/02/2025 for Date of Approval

फा.सं./F. No. E-000300002(AdO)/1/2023-Corrsp. /14/2

दिनांक /Date: 06.02.2025

11

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 24.01.2025 को आयोजित बैठक की सिफारिश के अनुसार, श्री सुरजीत देबनाथ, कार्यालय अधीक्षक को नैटमो, कोलकाता में प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य केंद्रीय सेवा, अनुसचिवीय, समूह-'ख' (राजपत्रित) के पद पर लेवल-7, वेतनमान रु. 44,900- 1,42,400/- पर पदोन्नत किया जाता है। यह दिनांक 06.02.2025 (अपराह्न) से प्रासंगिक नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रभावी होगा।

As per the recommendation of the Departmental Promotion Committee meeting dated 24.01.2025, Shri Surajit Debnath, Office Superintendent is promoted to the post of Administrative Officer, General Central Service, Ministerial, Group - B (Gazetted) in NATMO, Kolkata in the Level -7, Scale of Pay Rs. 44,900- 1,42,400/- with effect from 06.02.2025 (AN), as per terms and conditions as laid down in the relevant rules.

यह दिनांक 06.02.2025 के समसंख्यक ज्ञापन द्वारा संप्रेषित उनकी पदोन्नति के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्राप्ति पर जारी किया गया है।

This is issued on receipt of his acceptance of the offer of promotion communicated vide memorandum of even number dated 06.02.2025.

चूंकि पदधारी पहले ही एमएसीपी योजना के अंतर्गत तीसरे वित्तीय उन्नयन के माध्यम से लेवल-7 पर पहुंच चुके हैं, अतः इस पदोन्नति को प्रकार्यात्मक पदोन्नति माना जाएगा तथा कोई निर्धारण लाभ नहीं दिया जाएगा।

This promotion is to be treated as functional promotion and no fixation benefit will be allowed as the incumbent has already reached at Level-7 by way of 3rd financial upgradation under MACP Scheme.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.06.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/11/2016 (आरक्षण-I) {भाग-II} के अनुसार यह निर्धारित है कि पदोन्नति माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अग्रिम आदेशों के अधीन होगी।

It is stipulated as per OM. No. 36012/11/2016 (Res-I) {Pt- II} dt 15.06.2018 of DoPT that the promotion shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme Court.

Digitally Signed by Dr.
Binod Kumar Singh डॉ बिनोद
कुमार सिंह
Date: 11-02-2025 15:37:51
Reason: Approved

(डॉ बिनोद कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि:

सचिव, भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय [ध्यानाकर्षण- :श्री संजय कुमार, (निदेशक,.1 SMP)] को सूचनार्थ ।

2. श्री सुरजीत देबनाथ, कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से)
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालय। (SOI & NATMO), 15 वुड स्ट्रीट, कोलकाता-16
4. आहरण और संवितरण अधिकारी/ लेखा अनुभाग/ पेंशन अनुभाग
5. फा.सं.47-1/2022-स्था.
6. गार्ड फाइल
- ✓ मानचित्र पोर्टल प्रभारी – अपलोड करने हेतु